<u>न्यायालयः</u>— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-</u> 429/11 संस्थित दिनांक- 19.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

रामसिंह पुत्र गुद्दा आदिवासी, उम्र ४६ वर्ष, निवासी ग्राम जमूसर, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांकको घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 15.08.2011 को दिन में 03:00 ग्राम जमूसर में लोक स्थान पर फरियादी धन्नू को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी धन्नू को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2011 को फरियादी धन्नू दिन में 03.00 बजे अपने घर के पास बैठा था तो अभियुक्त वहाँ गालियां देते हुये आया और कहने लगा कि तू जमीन छोड़ कर भाग जा। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से फरियादी के साथ मारपीठ कर दी जिससे फरियादी के घुटने की नीचे नरे में, बाये हाथ ढड़ा में व बाये हाथ के पंजे की गदेली में चोट आई और जब फरियादी रिपोर्ट करने आने लगा तो अभियुक्त ने कुल्हाड़ी

लेकर उसका रास्ता रोक लिया और घटना में अमोल, मून्ने, फूलसिंह व लख्खू ने बीच बचाव किया। फरियादी धन्नू ने पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—355/11 अंतर्गत धारा— 341, 294, 324 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक— 18.04.17 की फरियादी धन्नू द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त की भादिव की धारा 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.08.2011 को दिन में 03:00 ग्राम जमूसर में फरियादी धन्नू को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 2. | दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) सिहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अमोल (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त उसके परिवार का है तथा उनका आपस में जमीनी विवाद था घटना दिनांक को जब वह घर के बहार बैठा था तो अभियुक्त शराब के नशे में वहाँ आया और पूर्व के विवाद पर से गाली—गलौच करने लगा जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने उसे वहाँ पर से भगा दिया था। फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) का अपने मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि घटना में केवल मुह—वाद हुआ था तथा उसे घटना में कोई चोट नहीं आई।

- 07— फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। फरियादी व अभियुक्त के मध्य जमीन के विवाद को लेकर घटना दिनांक को विवाद हुआ था इस संबंध में फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) के कथन अखण्डित है तथा उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी होती है। जिसे लेखबद्ध कराना उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है। अतः घटना दिनांक को अभियुक्त और फरियादी के मध्य जमीनी विवाद पर से झगडा हुआ था यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है।
- 08— फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) का अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन घटना के विरूद्ध यह कहना है कि घटना में केवल मुहवाद हुआ था तथा उसे घटना में कोई चोट नहीं आई जबिक प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर उपहित कारित करने की घटना लेख है, जिसके संबंध में फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का लैश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अमोल (अ0सा0—2) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्ष साक्षी है अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार करता है। आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) व अमोल (अ0सा0—2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। इसके विपरीत फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी तथा उसे घटना से पूर्व खेत पर पत्थर से टक्राकर गिरने से चोट आई थी तथा अभियुक्त ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई।
- 09— फरियादी धन्नू (अ0सा0—1) जो कि घटना में आहत होकर स्वयं फरियादी भी है अभियुक्त के द्वारा उसे उपहित कारित करने की घटना से स्वयं इंकार करता है तथा अभियोजन कहानी के विरूद्ध यह साक्षी केवल अभियुक्त के द्वारा घटना में मुह—वाद किया जाना बताता है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से भले ही यह साबित होता हो कि घटना दिनांक को जमीनी विवाद पर से अभियुक्त ने फरियादी के साथ विवाद किया था, परन्तु साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त विवाद में अभियुक्त ने फरियादी के साथ कुल्हाडी से मारपीट कर उसे कोई उपहित कारित की थी।
- 10— अतः अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन या युक्ति—युक्त संदेह से परे हैं साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.08.2011 को दिन में 03:00 ग्राम जमूसर में

फरियादी धन्नू को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 11— फलतः अभियुक्त रामसिंह पुत्र गुद्दा आदिवासी के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा— 324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त रामसिंह पुत्र गुद्दा आदिवासी को भा०दं०वि० की धारा— 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— <u>अभियुक्त रामसिंह पुत्र गुद्दा आदिवासी</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)